इसे वेबसाइट **www.govtpress.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 25] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 जून 2024—ज्येष्ठ 31, शक 1946

भाग ४

विषय—सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन	(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद् के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

प्रारूप नियम

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 जून 2024

क्र. 697—1789860—2024—ए—सोलह.— मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि नियम, 1984 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे राज्य सरकार, मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 (क्रमांक 36 सन् 1983) की धारा 33 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है, और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है, कि मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिन का अवसान होने पर संशोधन के उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो संशोधन के उक्त प्रारूप के संबंध में, किसी भी व्यक्ति से, ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि के अवसान पर या उसके पूर्व, प्राप्त हो, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, वललभ भवन, भोपाल द्वारा विचार किया जाएगा.

संशोधन का प्रारूप

उक्त नियमों में, नियम 15 में, खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(ख) जहां बैंक ड्राफ्ट, चेक एवं ऑनलाइन भुगतान किया जाना है, वहां रूपए पन्द्रह हजार तक का भुगतान कल्याण आयुक्त द्वारा प्राधिकृत सहायक कल्याण आयुक्त से अनिम्न पद—श्रेणी के अधिकारी द्वारा किया जाएगा एवं उक्त राशि से अधिक का भुगतान कल्याण आयुक्त द्वारा किया जाएगा."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वीरेन्द्र कुमार सिंह, उपसचिव.

Bhopal, the 10th June 2024

No. 697-1789860-2024-A-XVI.– The following draft of amendment in the Madhya Pradesh Shram Kalyan Nidhi Rules, 1984, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 33 of the Madhya Pradesh Shram Kalyan Nidhi Adhiniyam, 1982 (No. 36 of 1983) is hereby published for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft of amendment shall be taken into consideration on the expiry of 30 days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft of amendment on or before the expiry of the period specified above, shall be considered by the Principal Secretary, Government of Madhya Pradesh, Labour Department, Mantralaya, Vallabh Bhawan, Bhopal.

DRAFT OF AMENDMENT

In the said rules, in rule 15 for clause (b), the following, clause shall be substituted, namely :-

"(b) where bank draft, cheque and online payment is to be made, the payment up to Rupees Fifteen Thousand shall be made by an officer not below the rank of Assistant Welfare Commissioner authorized by the Welfare Commissioner and more than the said amount shall be made by the Welfare Commissioner."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VIRENDRA KUMAR SINGH, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2024.